निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0
2–सप्रू मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक– 960 /बजट–आयोजनेत्तर–2010–11 दिनांक 21 मई, 2010.

1. लैण्ड स्केप आर्कीटेक्ट/ आहरण संवितरण अधिकारी,
   निदेशालय, लखनऊ।
2. जिला उद्यान अधिकारी,
   अम्बेडकरनगर, भदोही, महोबा, मऊ एवं सोनभद्र।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–"2401–001– 03–केन्द्रीय निदेशालय योजनार्न्तगत धनराशि का आवंटन विषयक।

उपरोक्त विषयक आप द्वारा की गई माँग के अनुसार शासनादेश सं0–1121/58–2010–174/ 09 दिनांक 13–4–2010 द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लेखाशीर्षक–"2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–केन्द्रीय निदेशालय की योजनार्न्तगत निम्नानुसार शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आवंटन प्रदत्त किया जाता है।

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कोड संख्या/मद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि
1.	लैण्ड स्केप आर्कीटेक्ट/ आहरण संवितरण अधिकारी, निदेशालय, लखनऊ।	02–मजदूरी	136.00
		04–यात्रा भत्ता	450.00
		07–मानदेय	20.00
		08–कार्यालय व्यय	650.00
		09–विद्युत व्यय	800.00
		10–जलकर/जल प्रभार	250.00
		11–लेखन सामग्री	200.00
		12–कार्यालय व्यय	50.00
		13–टेलीफोन पर व्यय	150.00
		15–मोटर गाडियों का अनु0	600.00
		16–व्यावसायिक सेवायें	250.00
		17–किराया उपशुल्क	651.00
		18–प्रकाशन	50.00
		22–आतिथ्य व्यय	15.00
		29–अनुरक्षण	250.00
		42–अन्य व्यय	200.00
		44–प्रशिक्षण	100.00
		45–अवकाश यात्रा व्यय	25.00
		46–कम्प्यूटर का क्रय	100.00
		47–कम्प्यूटर स्टेशनरी	150.00
		49–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500.00
		51–वर्दी व्यय	30.00
		योग–	**5627.00**
2.	जिला उद्यान अधिकारी, अम्बेडकरनगर	04–यात्रा भत्ता	15.00
		08–कार्यालय व्यय	10.00
		11–लेखन सामग्री	5.00
		47–कम्प्यूटर स्टेशनरी	5.00
		योग–	**35.00**
3.	जिला उद्यान अधिकारी, संतरविदास नगर (भदोही)	04–यात्रा भत्ता	10.00
		08–कार्यालय व्यय	6.00
		11–लेखन सामग्री	4.00
		योग–	**20.00**

क्रमशः––2/–

folder NP07-08

21/05/10

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कोड संख्या/मद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि
4.	जिला उद्यान अधिकारी, महोबा	04–यात्रा भत्ता 08–कार्यालय व्यय 11–लेखन सामग्री	10.00 6.00 4.00
		योग–	**20.00**
5.	जिला उद्यान अधिकारी, मऊ	04–यात्रा भत्ता 08–कार्यालय व्यय 11–लेखन सामग्री	10.00 6.00 4.00
		योग–	**20.00**
6.	जिला उद्यान अधिकारी, सोनभद्र	04–यात्रा भत्ता 08–कार्यालय व्यय 11–लेखन सामग्री	10.00 6.00 4.00
		योग–	**20.00**
	कुल योग–		**5742.00**

(आवंटित की जा रही धनराशि रू0 सतावन लाख बयालिस हजार मात्र)

शर्ते :–

1– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

4– बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी–1–1195/दस– 16/94 दिनांक 06 जून, 1994 एवं शासनादेश संख्या–सी0ए0–1191/दस–2009–मित0–1/2007 दिनांक 26–10–2009 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490/दस–2009–231/2009 दिनांक 20 मार्च, 2009 में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–संवितरण अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

6– निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाये।

7– व्यय को आवंटन की सीमा तक नियन्त्रित भी रखें ।

8– उक्त आवंटित किया जा रहा बजट, बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ संख्या–1 पर अंकित है।

(रंजन मिश्र) 21/05/10
वित्त नियन्त्रक।

पृष्ठांकन संख्या– 960 /उक्त दिनांक,

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3– सम्बन्धित आहरण–संवितरण अधिकारी, आगरा, उ0प्र0।
4– आवंटन पत्रावली/गार्ड फाईल।

(रंजन मिश्र)
वित्त नियन्त्रक।

folder NP07-08

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0,
उद्यान भवन, 2–सप्रू मार्ग, लखनऊ 226 001
दूरभाष 0522–2623277 / फैक्स 0522–2621382

पत्रांक– /बजट–आयोजनेत्तर–2010–11/दिनांक 21 जुलाई, 2009.

जिला उद्यान अधिकारी,
उन्नाव।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत आयोजनेत्तर पक्ष की योजना में आवंटन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0–81 दिनांक 07 मई, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा की गई माँग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु स्थानान्तरण यात्रा भत्ता मद में निम्न विवरणानुसार आवंटन प्रदत्त किया जाता है–

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	कोड सं0/मद का नाम	आवंटित धनराशि
अनुदान सं0–10 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर– 001–निदेशन तथा प्रशासन– 05–जिला व मण्डलीय कार्यालय	05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	5.5
	योग–05	5.5

(रू0–पाँच हजार पाँच सौ मात्र)

उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यय को कुल आवंटन की सीमा तक नियंत्रित भी रखें। उक्त आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टी बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ सं0–11 पर अंकित है।

(रंजन मिश्र)
वित्त नियंत्रक।

पृष्ठाकंन संख्या– 1096 / दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उन्नाव।
2–उप निदेशक उद्यान, लखनऊ।
3–सम्बन्धित आवंटन पत्रावली/गार्ड फाईल ।

(रंजन मिश्र) 21/07/10
वित्त नियंत्रक।

H.K.S.-IH.K.S.-1